Spl. Sec.

O. S. D. (K) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0 एल0 ए0 / ए0 एस0 –1 / श0 स्था0 नि0 / 14477 / 2205 दिनांकः– 30/01/15

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार ,पटना

महाशय,

नगर निगम बिहारशरीफ के वर्ष 2013–14 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 549 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर निगम बिहारशरीफ
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–549/14–15
(अवधि– 2013–14)

भाग–।

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर निगम कार्यालय, बिहारशरीफ
2.	लेखा वर्ष	2013–14
3.	अंकेक्षण की अवधि	22.04.14 से 17.05.14
4.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री मनोज कुमार–I, व0ले0प0अ0 2. श्री ओम प्रकाश सिंह, स0ले0प0अ0 3. श्री राजेश कुमार–III, स0ले0प0अ0 4. श्री आलोक कुमार–III, ले0प0 5. श्री शिवराम, ले0प0
5.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री मोहन प्रकाश 'मधुकर', नगर आयुक्त
6.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ	हाँ।
7.	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट I
8.	लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट II
9.	लेखा परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	परिशिष्ट VII

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–।। (क)
शून्य

भाग–।। (ख)

कंडिका 1. बिना M और N फॉर्म में सर्टिफिकेट प्राप्त किये संवेदक को ढुलाई चार्ज का भुगतान

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार संवेदक को सिर्फ अनुज्ञप्तिधारी तथा प्राधिकृत विक्रेता से ही खनिजों की क्रय की जानी है। निर्माण विभाग को संवेदक से कोई भी बिल तब तक प्राप्त नहीं करनी चाहिए जब तक कि बिल के साथ फार्म एन. में निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए गए खनिज की विवरणी के साथ फार्म एम. में शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न न हो।

नगर निगम बिहारशरीफ के योजना अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि किसी भी कार्य संवेदक द्वारा एम. तथा एन. फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया था। न ही किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट चालान ही समर्पित किया गया ताकि यह पता चल सके कि कार्य में प्रयुक्त सामग्री कहाँ से एवं कितनी दूरी से लायी गयी है।
इसके बावजूद उपर वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निगम द्वारा संवेदक को स्टोन चिप्स हेतु 116 कि0मी0 तथा बालू हेतु 40 कि0मी0 का लीड के लिए कैरेज चार्ज भुगतान किया गया। (नमूना के तौर पर 35 मामलों में संवेदक को कैरेज चार्ज की भुगतान राशि ₹ 25.7 लाख की विवरणी परिशिष्ट III पर संलग्न)

एम. और एन. फार्म अथवा ट्रान्सपोर्ट चालान के अनुपलब्धता से यह कैसे पता चला कि कार्य में प्रयुक्त खनिज (स्टोन चिप्स–116 कि.मी., बालू 40 कि.मी.) किस स्त्रोत तथा कितनी दूरी से लाया गया।

बिना उपरोक्त कागजात के संवेदक को भुगतान किया जाना गैरकानूनी खनन के साथ–साथ संवेदक को कैरेज चार्ज के रूप में अनुचित फायदा पहुँचाना प्रतीत होता है। इस प्रकार की आपत्तियाँ पूर्व के लेखा परीक्षा में भी उठाई जाती रही है।
लेखा परीक्षा के द्वारा उठायी गयी आपत्ति के जवाब में कहा गया कि योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा बालू, स्टोन चिप्स आदि से संबंधित माईनिंग चालान संवेदक द्वारा एम. और एन. फार्म में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रयुक्त सामग्रियों के रॉयल्टी की कटौती सरकारी दर से कर ली जाती है। उसके बाद शेष देय राशि का भुगतान संवेदक को किया जाता है। बाद में रॉयल्टी के रूप में कटौती की गई सभी राशियों का भुगतान खनन विभाग को कर दिया जाता है। संवेदक के सामग्रियों के ढुलाई भाड़ा के भुगतान के संबंध में कहना है कि

Schedule of Rule में प्रावधानित query से ही कार्यस्थल तक निर्धारित ढुलाई भाडा का भुगतान संवेदक को किया जाता है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है। बिना साक्ष्य (एम. और एन. फार्म, ट्रान्सपोर्ट चालान अथवा स्त्रोत से क्रय हेतु अन्य कोई साक्ष्य) के संवेदक को भुगतान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। यह गैरकानूनी खनन तथा संवेदक को अनुचित फायदा पहुचाये जाने को बढावा देता है।

उच्चाधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इसकी समुचित जाँच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

तब तक ढुलाई मद में भुगतान की गयी राशि ₹ 2570259/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका 2. निवेश पंजी का संधारण नहीं

सावधि जमा का वर्षो से नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण नगर निगम को सूद मद में लाखों की राजस्व की संभावित हानि।

नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा निवेश पंजी का संधारण नहीं किया जाता है। फलस्वरूप नगर निगम के पास कितनी संख्या/कितनी राशि व किन बैंको में सावधि जमा/निवेश है, ज्ञात नहीं हो सका। न ही नगर निगम को इसकी जानकारी है। निवेश पंजी के संधारण नहीं होने के कारण निधि की क्षति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
विदित है कि पूर्व लेखा परीक्षा में इस संबंध में पूछताछ करने पर रोकड़पाल द्वारा चार (4) सावधि जमा रसीद उपलब्ध कराया गया था, जिनकी परिपक्वता अवधि के बीते काफी साल हो गया था। (लगभग 2 साल से 31 साल) विवरणी निम्न है:–

क्र0 सं0	जमा रसीद संख्या/तिथि	राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्व राशि(₹)	किन आय से जमा	अभ्युक्ति
1	349123/19.03.02 से 20.03.02 (केनरा बैंक)	66699	20.09.07	104514	Bihar Municipality, Biharsharif	दि0 20.09.07 के तारीख से 101028 का 96 माह के लिए नवीकरण
2	0709911/02.07.05 (भा0स्टेट बैंक)	233364	02.07.11	338560	Executive Officer	दि0 07.05.13 को 02.07.11 की तारीख मे 323820 का

						60 माह हेतु नवीकरण
3	112684 / 20.12.78 (केनरा बैंक)	50000	20.03.82	63675	Depreciation A/c	अभी तक नवीकरण नहीं
4	309849 / 24 / 18 दिनांकः 04.04.02	360973	04.04.07	536387	Pension Fund	अभी तक नवीकरण नहीं
कुल		711036		1043136		

पूर्व लेखा परीक्षा के दौरान ही क्रमांक 1 एवं 2 पर उल्लिखित सावधि जमा रसीद का नवीनीकरण करवाया जा चुका था । परन्तु लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर सक्षम अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद न तो निवेश पंजी का संधारण किया गया और न ही क्रमांक 3 एवं 4 पर दर्शित ₹ 600062 की सावधि जमा के नवीकरण पर कोई ध्यान दिया गया। क्र0 3 की परिपक्व राशि का नवीनीकरण 32 सालों से तथा क्रमांक 4 पर दर्शित परिपक्व राशि ₹ 5.36 लाख का नवीनीकरण 7 वर्षों से नहीं कराया गया था। निवेश के नवीनीकरण की उचित समय पर न करवाने के कारण निगम को होने वाली क्षति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि कुल चार सावधि जमा में से दो का अवधि विस्तार किया जा चुका है। क्रमांक 4 पर अंकित सावधि जमा नवीकरण हेतु केनरा बैंक को लिखा गया है तथा क्रमांक 3 के सावधि जमा के अवधि विस्तार हेतु संबंधित इलाहाबाद बैंक को दे दिया गया है।

निवेश पंजी का संधारण न करना तथा निवेश की गई राशि का नगर निगम अधिकारियों / कर्मचारियों को जानकारी न रहना उनके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि संबंधित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय तथा साथ ही निवेशपंजी का संधारण करवाकर सावधि जमा की राशि को ससमय नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में निगम कोष की क्षति की संभावना से बचा जा सके।

कंडिका 3. सुनिश्चित वृत्ति योजना

बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं0 3 ए–2 के0पु0 18 / 2009–7566 दिनांक 14. 07.10 के अनुसार सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010, राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक

अनुदान प्रदत्त स्वायत संस्थाओं या लोक उपक्रमों पर लागू नहीं होगी। इस प्रावधान के विपरीत नगर निगम, बिहारशरीफ में दो कर्मियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. लाभ प्रदान किया गया था। वर्ष 2013–14 में लेखापाल रोकड़बही के अनुसार एम.ए.सी.पी. लाभ के कारण कुल ₹ 128031 का एरियर भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न है:–

अभिश्रव सं0 / तिथि	राशि (₹)	किन मद से भुगतान	अभ्युक्ति
1332 / 21.12.13	82499	नगर निगम	श्री श्याम किशोर प्रसाद, सहा0 अभियन्ता अप्रैल 1992 से अप्रैल 2006 तक का वेतन अन्तर
1534 / 28.12.13	45532	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	श्री चन्द्रशेखर सिंह सफाई निरीक्षक मार्च 13 से नवम्बर 13 तक वेतन अन्तर राशि (तृतीय एम.ए.सी.पी. लाभ के फलस्वरूप)
कुल	128031		

इससे पूर्व एम.ए.सी.पी. लाभ के फलस्वरूप उन्हें वर्ष 2011–12 एवं 12–13 में कुल ₹ 15.08 लाख का भुगतान किया गया था, विवरणी निम्न है–

857 / 23.11.11	794059	श्री श्याम किशोर प्रसाद, सहा0 अभियन्ता
1033 / 12.11.12	714324	श्री चन्द्रशेखर सिंह, सफाई निरीक्षक
कुल	1508383	

जवाब में बताया गया कि बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं0 7566 दिनांक 14.07.10 में निहित निषेधादेश के बावजूद पटना एवं गया आदि नगर निगमों में कर्मियों के ए. सी.पी. लाभ दिया गया। तद्नुसार बिहारशरीफ नगर निगम के कर्मियों को भी ए.सी.पी. लाभ देने का मामला विचाराधीन था।

सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.12 के एजेंडा सं0 2(1) एवं बोर्ड की बैठक दिनांक 11.04.2012 के कर्मियों को ए.सी.पी. लाभ देने का प्रस्ताव पारित है।

288

Bihar Service Code तथा Board Miscellaneous Rules निकाय कर्मियों पर भी लागू हो तद्नुसार वित्त विभाग के संकल्प सं0 10770 दिनांक 30.12.1981 के आलोक में चूँकि पटना एवं गया नगर निगम के कर्मियों को ए.सी.पी. लाभ दिया जा चुका था। इसलिए बोर्ड के पारित प्रस्ताव के आलोक में बिहारशरीफ नगर निगम के दो कर्मियों को ए.सी.पी. लाभ दिया गया तथा शेष अन्य कर्मियों को भी ए.सी.पी. लाभ देने का मामला विचाराधीन है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि किसी अन्य निकाय द्वारा किए गए सरकारी आदेश के उल्लंघन पर ए.सी.पी. का लाभ दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। यद्यपि इसके बावजूद भूतलक्षी प्रभाव से सरकार से इसकी स्वीकृति ली जानी चाहिए थी। सक्षम स्वीकृत्यादेश प्राप्त किये जाने तक किया गया कुल भुगतान ₹ 1508383 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका 4. विविध रसीद की राशि नहीं/कम जमा।

वर्ष 2013–14 की विविध रसीद के नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न विविध रसीदों की राशि कम/नहीं जमा है। विवरण निम्न हैं:–

क्र0सं0	रसीद सं0	राशि (₹)	नजिर रोकड़ बही में जमा (₹)	कम/नहीं जमा (₹)
1.	10310	150	70	80
2.	10413	290	150	140
3.	10680	290	—	290
4.	10724	190	70	120
5.	8284	500	300	200
6.	8359	262	—	262
7.	8464	150	100	50
8.	8502	120	—	120
9.	9841	220	70	150
10.	9985	340	330	10
11.	10062	198	188	10
12.	10099	370	270	100
		3080	1548	1532

उपर्युक्त कम/नहीं जमा राशि ₹ 1532 संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया। राशि जमा का साक्ष्य अगले लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका 5. वसूली की राशि नहीं जमा ₹14.05 लाख

नाजिर द्वारा विविध रसीद के अंतर्गत दिनांक 12.04.14 से 13.05.14 तक कुल ₹ 1404833.80 संग्रहित की गई थी। परन्तु नगर निगम निधि कोष में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्न हैं–

क्र0सं0	रसीद सं0/दिनांक	राशि (₹)	संग्रहण की प्रकृति
1	11401 से 11500/12.04.14 से 28.04.14	646577.81	विविध/अन्य मद
2	11501 से 11600/28.04.14 से 07.05.14	692266.57	विविध/अन्य मद
3.	11601 से 11635 (11606 छोड़कर)/07.05.14 से 13.05.14	65989.42	विविध/अन्य मद
कुल		1404833.80	

विविध तथा अन्य मद में संग्रहित की गई राशि को संबंधित नगर निगम निधि कोष में जमा नहीं किया जाना अस्थायी गबन का मामला है। ऐसी स्थिति में नगर निगम की राशि को निजी हित में व्यय किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में नगर निगम द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

शीघ्र–अतिशीघ्र उपर वर्णित राशि 1404833.80 रू0 को नगर निगम कोष में जमा कराकर महालेखाकार को सूचित किया जाय तथा भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगायी जाय।

कंडिका 6. स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किए जाने से राजस्व की हानि ₹ 1.66 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1920/Chief secretary dated 14-08-02 तथा 549 दि0 15.03.05 के अनुसार सैरातों की बंदोबस्ती में परवाना निर्गत करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति के साथ नीलामी की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर एकरारनामा किया जाना चाहिए।

नगर निगम, बिहारशरीफ के सैरातों की बन्दोबस्ती संबंधी उपलब्ध कराए गए संचिका की जाँच में पाया गया कि किसी भी बंदोबस्तधारी के साथ एकरारनामा नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् है:–

सैरात का नाम	नीलामी की राशि	नीलामी राशि का 3 प्रतिशत मूल्य
रामचन्द्रपुर बस स्टैन्ड	4815000	144450
सुभाष पार्क स्थित तालाब	108000	3240
टेम्पो परिचालन	500000	15000
सुभाष पार्क कैफेटेरिया	111000	3330
कुल	5534000	166020

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किए जाने से राजस्व की ₹ 166020 की हानि हुई।

उत्तर में बताया गया कि पूर्व में नियम की जानकारी नहीं रहने के कारण संबंधित बन्दोबस्तदार से 3 प्रतिशत राशि के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं कराया गया था। ₹ 166020 की राजस्व की क्षति की वसूली संबंधित दोषी व्यक्ति से कर निगम कोष में जमा की जाय।

कंडिका 7. दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय – ₹ 4126499

बिहार सरकार के पत्र संख्या 4 न से 1–103/87–123/न वि.वि. दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी है। नगर निगम बिहारशरीफ के लेखाओं के लेखापरीक्षा के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गई रोकड़बही के अनुसार बिहारशरीफ नगर निगम में वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 4126499 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया है, जो कि सरकार के दिशानिर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था। (विवरणी परिशिष्ट IV पर संलग्न)

दैनिक मजदूरी पर की गई व्यय के लिए सरकार से घटनोत्तर स्वीकृति ली जानी थी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक में दैनिक सफाई कर्मियों को लगाकर सफाई कार्य कराया जा रहा था, यह व्यवस्था नहीं की जाती तो शहर में गंदगी का अंबार लग जाता। दैनिक मजदूरी पर व्यय की गई राशि की सरकार से घटनोत्तर स्वीकृति नहीं ली गई थी। अतः सरकार से स्वीकृति लिए जाने तक राशि ₹ 41.26 लाख आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका 8. बन्दोबस्ती की राशि बकाया ₹ 45127

नगर निगम द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार सफल डाकवक्ता को डाक की संपूर्ण राशि तुरन्त जमा करनी होगी, अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

नगर निगम, बिहारशरीफ क्षेत्रान्तर्गत सुभाष पार्क स्थित तालाब की बन्दोबस्ती संबंधी संचिका की जाँच में पाया गया कि उच्चतम डाक वक्ता रंजय कुमार, पिता– श्री नवीन कुमार को वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए ₹ 108000 में बन्दोबस्ती की गयी, परन्तु उनके द्वारा एम0आर0नं0 7275 दिनांक 23.03.13 द्वारा ₹ 8873 तथा MR No. 7278 दिनांक 23.03.13 द्वारा ₹ 62873 ही जमा कराया गया था तथा शेष राशि ₹ 45127 लेखा परीक्षा तिथि तक बकाया थी।

बन्दोबस्ती की शर्तों के अनुसार पूरी राशि जमा नहीं करने पर दूसरे निकटतम वक्ता को बन्दोबस्ती दे दी जाएगी, परन्तु न तो दूसरे वक्ता को बन्दोबस्ती दी गयी और न ही राशि ₹ 45127 की वसूली की गयी।

जवाब में कहा गया कि इस संदर्भ में इस कार्यालय के ज्ञापांक 690 दिनांक 01.04.13 द्वारा संबंधित बंदोबस्तदार श्री रंजय कुमार को बकाया राशि जमा करने को कहा गया है। राशि शीघ्र ही जमा करा दिया जाएगा। अविलम्ब राशि ₹ 45127 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल कर निगम कोष में जमा की जाय।

कंडिका 9. दुकान किराया की बकाया राशि ₹ 20.95 लाख

नगर निगम, बिहारशरीफ के दुकान किराया से संबंधित आंशिक रूप से उपलब्ध कराये गये रजिस्टर तथा विवरणी की जाँच में पाया गया कि विभिन्न दुकानदारों के पास ₹ 2095904 दुकान किराया के रूप में बकाया थी। (31.03.14 तक) विवरण निम्न हैं–

बाजार का नाम	दुकान की संख्या	बकाया राशि
पालिका मार्केट, लहेरी मुहल्ला	53	1415710
पालिका मार्केट, निकट नाज सिनेमा	52	680194
कुल		2095904

उपरोक्त बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई की जाय तथा निगम कोष में जमा की जाय।

कंडिका 10. अग्रिम पंजी का संधारण नहीं।

अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किए जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने व्यक्तियों को अग्रिम दी गई तथा पूर्व में कितना समायोजन हेतु लम्बित है।

लेखापाल रोकड़बही के नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न व्यक्तियों को अग्रिम प्रदान की गई।

क्र0 सं0	अभिश्रव संख्या	तरीख	अग्रिम की राशि (₹)	अग्रिम जिसे दी गई	अग्रिम का उद्देश्य
1.	530	10.07.13	20000	नईमा मेहतरानी जैजे कलिम	अप्रैल एवं मई माह, 2013 का वेतन
2.	1227	28.11.13	12000	छठ घाट पर प्रकाश व्यवस्था हेतु अग्रिम	
3.	1228	28.11.13	12000	व्यवस्था हेतु अग्रिम	
		कुल	44000		

नगर आयुक्त द्वारा जवाब दिया गया कि आपत्ति सही है उसे अद्यतन कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जवाब सही नहीं है क्योंकि उपर्युक्त अग्रिम की राशि का समायोजन हुआ या नहीं, स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अग्रिम पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।

कंडिका 11. भाड़े के वाहन पर किया गया भुगतान

नगर प्रबंधक से संबंधित भाड़े के वाहन का भाड़ा भुगतान से संबंधित संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि नगर प्रबंधक को क्षेत्र भ्रमण तथा कार्यालय कार्य हेतु वाहन (वाहन संख्या 21 ई0 1633) दी गई थी, वाहन भाड़ा भुगतान एवं डीजल खपत के लिए अप्रैल 13 से मार्च 14 तक कुल ₹ 213330 का भुगतान किया गया है। विवरण निम्न है–

माह	वाहन भाड़ा भुगतान राशि (₹)/दिन	डीजल भुगतान राशि (₹)/डीजल खपत (ली0 में)
अप्रैल 2013	₹ 10500 (350x30)	₹ 6004/95
मई 2013	₹ 10850 (350x31)	₹ 5612/105
जून 2013	₹ 10500 (350x30)	₹ 4614/85
जुलाई 2013	₹ 10850 (350x31)	₹ 7106/130
अगस्त 2013	₹ 10850 (350x31)	₹ 7886/140
सितम्बर 2013	₹ 10500 (350x30)	₹ 7278/130
अक्टूबर 2013	₹ 10850 (350x31)	₹ 8137/–
नवम्बर 2013	₹ 10500 (350x30)	₹ 7864/135
दिसम्बर 2013	₹ 10850 (350x31)	₹ 7347/–
जनवरी 2014	₹ 10850 (350x31)	₹ 7914/130
फरवरी 2014	₹ 9800 (350x28)	₹ 8546/140
मार्च 2014	₹10850 (350x31)	₹ 7272/120
	₹ 127750	₹ 85580

लेखा परीक्षा आपत्तिः–

1.उपर्युक्त वाहन से संबंधित लॉग बुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

2. नगर प्रबंधक को उपर्युक्त अवधि के लिए वाहन किस उद्देश्य के लिए दी गई। इस संदर्भ में कोई प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

3.नगर प्रबंधक के क्षेत्र भ्रमण से संबंधित स्वीकृत आदेश/क्षेत्र भ्रमण प्रतिवेदन लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

4.वाहन सुविधा हेतु सक्षम स्वीकृत्यादेश उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपर्युक्त आपत्ति के जवाब में बताया गया कि सफाई कार्य के त्वरित निरीक्षण एवं जन शिकायतों के तुरन्त निराकरण के लिए नगर प्रबंधक को बोर्ड की स्वीकृति से वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि नगर प्रबंधक के क्षेत्र भ्रमण से संबंधित स्वीकृति आदेश, वाहन सुविधा हेतु सक्षम प्राधिकारी का स्वीकृत आदेश, क्षेत्र भ्रमण से संबंधित कागजात लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः समुचित कागजात/सक्षम आदेश अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये जाने तक राशि ₹ 213330 लेखा परीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

TAN

कंडिका 1. बजट (2013–14)

बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 के धारा 80 से 85 के अनुसार नगर निगम हेतु आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन बोर्ड में फरवरी माह के 15 वीं तारीख या उसके बाद यथासंभव प्रस्तुत करेगा। सशक्त स्थायी समिति द्वारा धारा 83(1) के अंतर्गत प्रावधानानुसार रिपोर्ट को समीक्षा कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बोर्ड द्वारा 15 मार्च तक उक्त बजट प्राक्कलन को अंगीकार कर राज्य सरकार को भेजेगा।

बजट प्राक्कलन (2013–14) की दिनांक 30.03.13 को हस्ताक्षरित प्रति छायाप्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया। इससे संबंधित संचिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप यह इंगित नहीं किया जा सका कि बजट प्राक्कलन कार्यालय द्वारा कब तैयार किया गया तथा इसे बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति के बैठक में प्रस्तुत कब किया गया। यह इनके द्वारा पारित है अथवा नहीं।

पुनः साथ ही बजट प्राक्कलन की प्रति राज्य सरकार को भेजी गई अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं हो सका।

उपरोक्त सभी सूचनाएँ अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई जाय तथा भविष्य में संचिका की भी संधारण की जाय।

पुनः वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने के कारण मदवार बजटीय आय–व्यय का वास्तविक आय–व्यय से तुलना नहीं की जा सकी। वार्षिक लेखा का संधारण किया जाय।

बजट प्राक्कलन एवं लेखापाल रोकड़बही के अनुसार वर्ष 2013–14 के बजटीय एवं वास्तविक आय–व्यय की स्थिति निम्न पाई गई–

क्र0 सं0	बजट	वास्तविक	अंतर (लाख में)	अंतर का प्रतिशत
1	नगर निगम कर– 880.99 (गृह कर)	140.58	740.41	84 प्रतिशत
2	अन्य स्त्रोत से आय– 251.60	62.66	188.94	75 प्रतिशत

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर निगम के वास्तविक आय का बजटीय आय में काफी अन्तर था। यह 75 प्रतिशत से 84 प्रतिशत कम था। अर्थात् बजट प्राक्कलन वास्तविक से परे था। भविष्य में बजट प्राक्कलन सावधानीपूर्वक एवं वास्तविकतापूर्ण बनायी जाय।

कंडिका 2. सरकारी अनुदान (2013–14)

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं पाया गया। फलस्वरूप वर्ष 2013–14 हेतु वर्ष के प्रारम्भ में अव्यवहृत अनुदान की राशि वर्ष के दौरान प्राप्ति एवं उपयोग की स्थिति का वर्ष के अन्त में अव्यवहृत अनुदान की राशि स्थिति ज्ञात नहीं किया जा सका।

सरकारी अनुदान पंजी के संधारण किये जाने की स्थिति में किसी विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि के विचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पी0एल0 रोकड़ बही एवं अन्य रोकड़बही के अनुसार वर्ष 2013–14 में प्राप्त अनुदान की विवरणी परिशिष्ट V पर दी गई है। अनुदान पंजी का संधारण अविलम्ब कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की जाय।

कंडिका 3. रोकड़ बही संधारण में अनियमितता

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा महीनें में कम से कम एक बार रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाना चाहिए तथा इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज किया जाना चाहिए।

नगर निगम बिहारशरीफ के लेखापाल रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि कोई भी प्रविष्टि नगर आयुक्त द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था तथा न ही कोई प्रमाण पत्र दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में रोकड़ बही में दर्ज आय–व्यय की प्रमाणिकता संदेहास्पद प्रतीत होती है। इस संदर्भ में अंकेक्षण दल द्वारा पूर्व में ली गई आपत्तियाँ दर्ज की जाती रही है, परन्तु अभी तक इसपर अमल नहीं किया जा सका है।

कंडिका 4. होल्डिंग कर का पुनरीक्षण नहीं

बिहार म्यूनिसिपल एक्ट के धारा 127 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देशित किये जाने के बावजूद (पत्रांक– 833/23.06.2005) बिहार नगर निगम द्वारा पिछले 21 वर्षों (1993 के बाद से) होल्डिंग कर का पुनरीक्षण नहीं किया गया।

होल्डिंग कर का पुनरीक्षण नहीं किये जाने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

साथ ही लेखा परीक्षा में निम्न सूचनाएँ भी उपलब्ध नहीं करायी गयीः–

1. नगर निगम क्षेत्रानतर्गत सभी वार्डो में अवस्थित कुल होल्डिंग की संख्या (ward wise)
2. उपरोक्त वार्डो के होल्डिंग में से होल्डिंग कर लगाये गये होल्डिंग की संख्या तथा उनकी वार्षिक माँग।
3. वर्ष 2013–14 में कुल माँग, वसूली तथा बकाया होल्डिंग कर की विवरणी। (उपलब्ध कराये गये फार्मेट में)
4. नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने होल्डिंग अवस्थित है, जिनका गृहकर का मूल्यांकन नहीं हो सका है?
5. वर्त्तमान में वसूली/मूल्यांकन का क्या प्रावधान है तथा दर कब से लागू है।
6. पुनरीक्षण कार्य यदि की जा रही है, तो उनकी प्रगति प्रतिवेदन की स्थिति।

होल्डिंग कर के पुनरीक्षण हेतु ठोस सार्थक प्रयास किये जाए।

कंडिका 5. होल्डिंग कर हेतु माँग तथा वसूली पंजी का संधारण नहीं

होल्डिंग कर शहरी स्थानीय निकाय का मुख्य आय का स्त्रोत है, जिसके लिए माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नितान्त आवश्यक है, ताकि यह पता चल सके कि किन व्यक्तियों के

पास कितना गृहकर बकाया है। वसूली की जा रही राशि माँग के अनुरूप है अथवा नहीं अथवा कब से है आदि।

नगर निगम बिहारशरीफ के द्वारा गृह कर की माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया। उक्त पंजी के संधारण नहीं होने के कारण नगर निगम को राजस्व की क्षति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

टैक्स दारोगा द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 576.56 लाख गृह कर माँग के विरूद्ध विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा ₹ 140.69 लाख की वसूली की गई तथा शेष ₹ 435.87 लाख बकाया गृह कर रहा।

स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा कुल माँग का मात्र 24.40 प्रतिशत ही वसूली किया गया, जो अत्यन्त ही निराशाजनक है।

लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

1. उपरोक्त माँग, वसूली तथा बकाया गृह कर की मदवार विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. शिक्षा उपकर तथा स्वास्थ्य उपकर मद में वसूली गई राशि परन्तु सरकार के संबंधित शीर्ष खाते में जमा नहीं की गई थी।
3. उपलब्ध कराये गये विवरणी तैयार किये जाने का क्या आधार है, इसे स्पष्ट नहीं किया गया।
4. वसूली प्रतिशत बढ़ाने हेतु निगम द्वारा क्या प्रयास की गई, इसे स्पष्ट नही किया गया।
5. सरकारी भवनों के विरूद्ध बकाया गृहकर की विवरणी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

उपर्युक्त आपत्ति का स्पष्टीकरण अगले अंकेक्षण में बताया जाय।

कंडिका 6. आय–व्यय

बिहारशरीफ नगर निगम के लेखाओं के लेखापरीक्षा के क्रम में उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही के आय–व्यय विवरणी निम्नलिखित हैः–

प्रारंभिक शेष (01.04.13 को)– **₹ 213845073**

वर्ष की आय– **₹ 367251983**

वर्ष का व्यय **₹ 350125631**

अंतशेष– **₹ 230971425**

2019

लेखा परीक्षा आपत्तिः–

1. आय–व्यय विवरणी के अनुसार क्रम संख्या 4 से 8 एवं क्रम संख्या 10 से 11 में विगत कई वर्षों से कोई लेन–देन नहीं किया गया था। सिर्फ ब्याज की राशि संधारित की जा रही थी और रोकड़ बही के अनुसार राशि अवरूद्ध कर रखी गई थी।

2. गंदी बस्ती सुधार योजना के दो रोकड़ बही एवं दो बैंक पासबुक संधारित किया गया था। ऐसा किस आधार पर किया गया।

उत्तर में बताया गया कि ज्ञापांक 01 के संबंध में बोर्ड के स्तर से प्रस्ताव पारित कर संलग्न सूची के क्रमांक 4 से 8 एवं 10 से 11 में जमा राशि जनोपयोगी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
आपत्ति क्रमांक (2) के संबंध में कहना है कि सुविधा के लिए दो बैंक में खाता खोला गया था। इसे एकीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है।उक्त राशियों को व्यय कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका 7. नाजिर द्वारा नगर निगम कोष में संग्रहित राशि का विलम्ब से जमा किया जाना

नियमानुसार नगर निगम हेतु प्राप्त राशि को अविलम्ब उसी दिन अथवा अगले दिन ही निगम खाता में जमा किया जाना है। परन्तु नाजिर रोकड़ बही के नमूना जाँच में पाया गया कि नाजिर द्वारा विभिन्न संग्रहकर्ताओं/स्वयं के द्वारा वसूली गई राशि लगभग 1 लाख से 5 लाख रूपये को 15 दिन से 56 दिन तक अपने पास रखकर नगर निगम निधि में जमा किया। बड़ी मात्रा में राशि का इतने दिनों तक अपने पास रखा जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

उत्तर में बताया गया कि विशेष परिस्थिति में नकद प्राप्त राशि को भी आवश्यक कार्यों पर व्यय करना पड़ता है, जबकि संबंधित विपत्र को पारित कर वास्तविक राशि की निकासी बाद में की जाती हैं इसके बाद प्राप्त राशि को नगर निगम कोष में जमा किया जाता है। प्राप्त राशि के विलम्ब से जमा करने का यही मूल कारण है।

भविष्य में इस तरह के direct expenditure से परहेज किया जाएगा।

कंडिका 8. <u>प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का न होना (संवेदक की नियुक्ति)</u>

नगर निगम द्वारा विभिन्न मदों अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संवेदक की नियुक्ति संबंधी निविदा रजिस्टर के लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि सभी कार्यान्वित योजनाओं के निविदा में दो संवेदकों ने भाग लिया, जिसमें से एक संवेदक द्वारा कार्य को प्राक्कलन दर पर करने हेतु प्रस्ताव दिया तथा दूसरे संवेदक द्वारा प्राक्कलन दर से 0.01 प्रतिशत कम दर पर कार्य हेतु प्रस्ताव दिया गया। नगर निगम द्वारा न्यूनतम प्रस्तावित दर (0.01 प्रतिशत कम पर) वाले संवेदको को सफल संवेदक घोषित कर कार्य आवंटित किया गया। नमूना के तौर पर चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 अंतर्गत दोनों संवेदकों द्वारा प्रस्तावित दरों की तुलनात्मक विवरणी परिशिष्ट VI पर दर्शाई गई है।

तुलनात्मक विवरणी में यह पाया गया कि दोनों संवेदको के प्रस्तावित दरों में ₹ 56500 से ₹ 800000 के प्राक्कलन वाले योजनाओं में क्रमशः ₹ 6 से ₹ 80 मात्र का ही अन्तर(क्र0सं0 77 को छोड़कर) पाया गया। ₹ 800000 के प्राक्कलन की योजना में दोनों संवेदको द्वारा दी गई प्रस्तावित दरों का अंतर मात्र ₹ 80 को नगण्य ही माना जा सकता है। स्पष्ट है कि निविदा प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हुई।

यह पूछे जाने पर कि किन परिस्थिति में नगर निगम द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं में इसी प्रकार का दर संवेदकों द्वारा प्रस्तावित की गई, जवाब में बताया गया कि समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित कर निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। संबंधित निविदाकार मुहरबंद लिफाफे में टेंडर डालते है, जिसे बाद में खोला जाता है। दिखने में निविदित दर 0.01 प्रतिशत असहज और असामान्य सा दिखायी पड़ता है, लेकिन इसे अस्वीकार करने पर कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो सकता है और कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा निविदाएँ स्वीकार कर ली जाती है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है। ज्ञातव्य है कि उपरोक्त तथ्य लगातार पूर्व के लेखापरीक्षा में भी उठायी जाती रही है। साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के प्रति निगम की उदासीनता को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धा होने से सस्ती दर पर अच्छी गुणवत्ता का कार्य होता है। अतः उच्चाधिकारी का ध्यान उपरोक्त तथ्यों पर आकृष्ट करते हुए आगाह किया जाता है कि अपने स्तर से इसकी उचित जाँच करवाई जाय तथा साथ ही भविष्य में निविदा प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शितापूर्ण बनाने हेतु ठोस कार्रवाई की जाय।

कंडिका 9. <u>तेरहवीं वित्त आयोग</u>

<u>ते</u>रहवीं वित्त आयोग के स्वीकृत्यादेशानुसार प्राप्त राशि का कम से कम 50 प्रतिशत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर व्यय किया जाता है। इसके अलावा (1) पाईप जलापूर्ति व्यवस्था (रख–रखाव सहित)